



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या :- 785 / जी०सी०ए०ओ०छः / 29ए / 2003

दिनांक :- 30 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2983/जीसीएओछः/29ए/2003 दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के अनुक्रम में एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 के मध्य 60 वर्ष की निर्धारित अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर अधोनामित लेखा कार्मिकों को उनके सम्मुख इंगित तिथियों से सेवानिवृत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक

क्र० सं०	नाम	पद नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	तैनाती स्थल/इकाई का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सीमा नाग	लेखाकार	25.06.1955	30.06.2015	मानीटरिंग सेल, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ
2.	सुरेश चन्द्र	अनुसेवक	03.07.1955	31.07.2015	सम्प्रेक्षा अनुभाग, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ
3.	चन्द्र वल्लभ जोशी	लेखाकार	01.10.1955	30.09.2015	जीपीएफ ट्रस्ट, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ
4.	केवला नन्द पन्त	आशुलिपिक- II	25.09.1955	30.09.2015	शिविर कार्यालय महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ
5.	घनश्याम केसरवानी	लेखाकार	15.11.1955	30.11.2015	केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ
6.	मुश्ताक अहमद	लेखाकार	01.01.1956	31.12.2015	जीपीएफ ट्रस्ट, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ
7.	दिनेश चन्द्र पाण्डेय	आशुलिपिक- II	10.03.1956	31.03.2016	शिविर कार्यालय निदेशक (वित्त), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित लेखा कार्मिकों को स्तम्भ संख्या-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवा निवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके लेखा कार्मिक का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवा निवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं लेखा कार्मिक की विधिक जिम्मेदारी होगी।

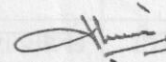
नियंत्रक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिक को पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्त होने से पूर्व यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे समय से पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सके एवं सेवानिवृत्त हेतु देय लेखा कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण की जाँच समय से करना एवं अदेयता प्रमाण पत्र इत्यादि भी निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाए ।

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या :- 785 / जी0सीएओ0छः/29ए/2003 तददिनांक 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
2. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3. उप महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. सचिव, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- ✓ 7. अधिशासी अभियन्ता, वेब साईट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
8. सहायक लेखाधिकारी (मानीटरिंग सेल), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
9. सहायक लेखाधिकारी (प्रशासन), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
10. सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल ।



(एस.के. अवस्थी)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्रशासन)

संख्या :- 785 / जी0सीएओ0छः/29ए/2003 तददिनांक :-

प्रतिलिपि उप सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखा कार्मिकों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जाँच इत्यादि यदि कोई हो तो यथा समय पूर्ण/निर्णय कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे कि सम्बन्धित कार्मिकों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो ।

(एस.के. अवस्थी)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्रशासन)